न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 03/2023
दायर दिनांकः 27.01.2023
निर्णय दिनांक 08.10.2024

—:अनवान:—

श्री वजिंग पिता खेमा जी चदाणा, आयु वयस्क, निवासी सरजेला चाम्बुआ, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

—— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

—— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार साहब, कुम्भलगढ़ प्रकरण संख्या 70/2019 ना0कब्जा निर्णय दिनांक 27.09.2019

उपस्थित :—

1— श्री गिरिश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व गांव चाम्बुआ सरजेला पटवार हल्का कांकरवा तहसील कुंभलगढ जिला राजसमंद में स्थित आ0नं0 20/1 रकबा 4—00 बीघा किस्म मगरी पर अपीलांट का पिछले 25—30 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि जो मगरी है, व पथरीली है, उसको समतल करने एवं आबाद करने मे काफी रुपया व श्रम खर्च किया है, और भूमि को काबिल कास्त बनाई है, और उक्त भूमि के चारों और कांटों की बाड बना रखी है। अपीलाट उक्त भूमि में कास्त कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता हैं, और उक्त भूमि में फसल पैदा कर उपज को लेता हैं। अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2019 की पुर्व मैं कोई जानकारी नहीं है, न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी साक्ष्य सफाई पेश करने का व जवाब पेश करने का कोई अवसर दिया है, और उक्त प्रकरण

न्यायालय जिला कलक्टर

मैं एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलांट दिनांक 9.11.2022 को तहसील में गया तो उसे पता चला कि अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने व शास्ति की राशि वसूल करने का निर्णय हो गया है, और अपीलांट को पत्ता चलते ही अपीलांट ने दिनांक 10.11.2022 को नकल हेतु आवेदन पत्र तहसील कुम्भलगढ में पेश कर दिया। उक्त निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट ने दिनांक 10.11.2022 को नकल निर्णय हेतु आवेदन पत्र पेश किया तो अपीलांट को नकल निर्णय दिनांक 18.11.2022 को प्राप्त हुई, और नकल निर्णय प्राप्त होते ही अपील श्रीमान के समक्ष पैश की जा रही है। जो जानकारी से अंदर मियाद है, विलम्ब माफ करने हेतु अलग से धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व गांव चाम्बुआ सरजेला पटवार हल्का काकरवा तहसील कुंभलगढ जिला राजसमंद में स्थित आ0नं0 20/1 रकबा 4–00 बीघा किस्म मगरी पर अपीलांट का पिछले 25–30 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि जो मगरी है, व पथरीली है, उसको समतल करने एवं आबाद करने मे काफी रुपया व श्रम खर्च किया है, और भूमि को काबिल कास्त बनाई है, और उक्त भूमि के चारों और कांटों की बाड बना रखी है। अपीलाट उक्त भूमि में कास्त कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता हैं, और उक्त भूमि में फसल पैदा कर उपज को लेता हैं। अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 27.9.2019 की पुर्व मैं कोई जानकारी नहीं है, न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी साक्ष्य सफाई पैश करने का व जवाब पैश करने का कोई अवसर दिया है, और उक्त प्रकरण मैं एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रकरण को दिनांक 11.09.2019 को दर्ज किया एवं प्रथम पेशी दिनांक 27.09.2019 को ही प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष/जवाब/साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर बेदखली का आदेश दिया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को

न्यायालय जिला कलक्टर

अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भी पूर्व में निर्धारित टंकित प्रपत्र (प्रफोर्मा) में है। जो पृथक–पृथक निर्णय के लिए इस्तमाल किया गया हैं। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो साक्ष्यो का विवेचन किया गया न ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया हैं। अतः उक्त परिस्थिति में मैं अपील अपीलांट को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 को अपास्त करता हूँ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, कुम्भलगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता हैं कि अपीलांट को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण कर निर्णय पृथक से लिखा जाना सुनिश्चित करें।

8/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)